



न्याय विभाग
Department of Justice
भारत सरकार
Government of India
सम्मेलन जगत

टेली-लॉ

कानूनी सलाह अब आपके गांव में
कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध
वीडियो कान्फ्रैंस, टेलीफोन और चैट के द्वारा वकीलों
से कानूनी सलाह प्राप्त करें

कानूनी सलाह
निम्नलिखित मामलों में
उपलब्ध है :

- ▶ दहेज, परिवारिक विवाद, तलाक, घरेलू हिस्सा से बचाव
- ▶ महिला, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण
- ▶ महिलाओं का कार्यरथल पर लैंगिक उत्पीड़न, यौन दुर्व्यवहार, छेड़-छाड़
- ▶ जमीन-जायदाद व संपत्ति का अधिकार
- ▶ महिला और पुरुष के लिए समान मजदूरी
- ▶ मातृत्व लाभ, लिंग जाँच व भ्रूण हत्या रोकथाम
- ▶ बाल विवाह रोकथाम, बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण, बाल मजदूरी, बच्चों के शिक्षा के अधिकार
- ▶ F.I.R लिखवाने और जमानत मिलने की प्रक्रिया
- ▶ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अत्यादार और पुनर्निवास

वकील के साथ
वीडियो कान्फ्रेंसिंग

निःशुल्क कानूनी सलाह पाने के हकदार हैं* :

- ▶ महिलाएं
- ▶ बच्चे (18 साल से कम उम्र के)
- ▶ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य (SC/ST)
- ▶ औद्योगिक कामगार/श्रमिक/मजदूर
- ▶ प्राकृतिक आपदा से पीड़ित (जैसे - भूकंप, बाढ़, सूखा, इत्यादि)
- ▶ दिल्लांग व्यवित
- ▶ जातीय हिंसा एवं देह-व्यापार से पीड़ित
- ▶ बी.पी.एल. परिवार (Below Poverty Line)
- ▶ ऐसे व्यक्ति जो हिरासत में हैं

*विधिक सेवा प्राप्तिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत

अन्य श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रति सलाह ₹.30 का शुल्क देय होगा



वकील से सम्पर्क करने की प्रक्रिया

अपनी सुविधा अनुसार तिथि एवं समय चुनें

टेली-लॉ पैरालिंगल वॉलेटियर TPLV की मदद से
टेली-लॉ मोबाइल एप्लीकेशन पर अपना मामला दर्ज करें।

अपने गांव के TPLV एवं CSC की
लिस्ट www.tele-law.in पर देखें

TPLV ने लिए टेली-लॉ मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा मामले दर्ज करने का मात्रम् गृहीत रखा है।



टेली-लॉ सेवाओं की कार्य प्रक्रिया :



सहयोगी :



यदि कोई प्रश्न/शिकायत/सुआव हो तो
help.telelaw@gmail.com पर लिखें।
अधिक जानकारी के लिए
देखें : <http://www.tele-law.in>



Scan to access www.tele-law.in